

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्र सं० ११२रोडी/14-29रोडी/विधि/99-IV

दिनांक ३-९ 2014

- 1- प्रधान प्रबन्धक (के०कार्य०/डा०रा०म०लो०कार्य०)
उ०प्र० परिवहन निगम,
कानपुर।
- 2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
उ०प्र० परिवहन निगम।
- 3- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ०प्र० परिवहन निगम।
- 4- प्रबन्धक, कारसेक्शन।
उ०प्र० परिवहन निगम।

विषय- अनुशासनिक प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारण किए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया निगम निदेशक मण्डल की दिनांक 19.08.2014 को सम्पन्न 200वीं बैठक में प्रस्तुत अनुशासनिक एजेण्डा टिप्पणी का अवलोकन किये जाने के उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा जिन अधिकारियों के स्तर पर एक वर्ष से अधिक अवधि के निलम्बन/आरोप के अनुशासनिक प्रकरण लम्बित हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व की बैठकों में निदेशक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में आपको निर्देश दिए गये हैं कि अनुशासनिक निलम्बन/आरोप पत्रों के प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारित किया जाये।

कृपया मुख्यालय द्वारा प्रेषित परिपत्र संख्या-2110(1)रोडी/14 दिनांक 20.08.2014 के अनुसार छः माह एवं एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों/जॉच कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप में अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें।

अतः निदेशक मण्डल द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(एस०के०बनर्जी)
प्रधान प्रबन्धक(अनुशासनिक)